संख्या- 49/2025/1204/77-6-25/1922193

प्रेषक,

आलोक कुमार,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

मुख्य कार्यपालक अधिकारी,
इन्वेस्ट यू0पी0।

औद्योगिक विकास अनुभाग-6 **लखनऊ: दिनांक 01-07-2025**

विषयः उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति-2022 के अंतर्गत इम्पावर्ड कमेटी की संस्तुति के आधार पर बृहद श्रेणी की 03 औद्योगिक इकाईयों को एल.ओ.सी निर्गत/निरस्त किये जाने के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-446/एसकेएस/आईयूपी/2025-26 दिनांक 03.06.2025 एवं शासन के पत्र संख्या- -1245/77-6-2025/1762681 दिनांक 19.06.2025 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- उक्त पत्र दिनांक 03.06.2025 द्वारा उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति-2022 के अंतर्गत 02 औद्योगिक इकाईयो- वेव इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड एवं कानपुर प्लास्टिपैक लिमिटेड - को लेटर ऑफ कम्फर्ट निर्गत/निरस्त किये जाने की स्वीकृति प्रदान किये जाने का अनुरोध किया गया है।

शासन के पत्र दिनांक 19.06.2025 द्वारा बृहद श्रेणी की औद्योगिक इकाई- पॉली मेडिक्योर लिमिटेड- को लेटर ऑफ कम्फर्ट निर्गत किये जाने की संस्तुति प्रदान की गई है।

3- उपर्युक्त 03 औद्योगिक इकाईयों का संक्षिप्त विवरण निम्नवत है-

क्र.सं.	**कंपनी/स्थान**	**आवेदक के अनुसार वास्तविक निवेश (₹ करोड़)**	**अपेक्षित प्रोत्साहन**	**आवेदन की तिथि**	**मूल्यांकन की तिथि**	**जनपद**
1	वेव इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड	110.02	पूंजीगत सब्सिडी	05.02.2025	02.05.2025	अमरोहा
2	कानपुर प्लास्टिपैक लिमिटेड	84.41	पूंजीगत सब्सिडी	10.12.2024	02.05.2025	कानपुर देहात
3	पॉली मेडिक्योर लिमिटेड	150.52	पूंजीगत सब्सिडी	25.04.2025	16.05.2025	गौतमबुद्ध नगर

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

4- अत: उपर्युक्तानुसार किये गये अनुरोध एवं संस्तुति के क्रम में उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति 2022 एवं तदनुक्रम में निर्गत शासनादेश संख्या-21/2023/1307/77-6-2023-2(एम)/2023 दिनांक 14.04.2023 तथा पत्र संख्या-1044/77-6-2025/1762681 दिनांक 02.06.2025 एवं पत्र संख्या-1245/77-6-2025/1762681 दिनांक 19.06.2025 द्वारा निर्गत इम्पावर्ड कमेटी के कार्यवृत्त में निहित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन एतद्द्वारा श्री राज्यपाल उक्त प्रस्तर-3 की तालिका क्रमांक 1 एवं 3 पर अंकित औद्योगिक इकाईयों को लेटर ऑफ कम्फर्ट निर्गत किये जाने एवं क्रमांक-2 पर अंकित इकाई की पूर्व में निर्गत लेटर ऑफ कम्फर्ट निरस्त किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

भवदीय,

आलोक कुमार

प्रमुख सचिव।

संख्या- 49/2025/1204/77-6-25/1922193तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार, लेखा परीक्षा (प्रथम एवं द्वितीय) उ0प्र0, प्रयागराज।
2. निजी सचिव, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, उ0प्र0 शासन।
3. निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/वित्त, न्याय, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास, नियोजन, एमएसएमई, स्टाम्प एवं निबन्धन, राज्यकर विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
4. निजी सचिव, आयुक्त एवं सचिव, अध्यक्ष, उ0प्र0 राजस्व परिषद, लखनऊ।
5. निजी सचिव, सचिव/विशेष सचिव, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
6. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यूपीसीडा/यूपीडा/नोएडा/ग्रेटर नोएडा/यीडा/गीडा।
7. आयुक्त एवं निदेशक, उद्योग, उत्तर प्रदेश, कानपुर।
8. प्रबंध निदेशक, पिकप।
9. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

रामध्यान रावत

उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।